राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल दिनांक 02/04/09

// आदेश //

क्रमांक 265 /NR-1/NREGS-MP/2009 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत संभागायुक्त कार्यालयों में 01 कम्प्यूटर (यूपीएस सहित), 01 स्कैनर एवं 01 ब्लैक एंड व्हाईट प्रिंटर क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त क्रय पर होने वाले वाला व्यय 4 प्रतिशत की प्रशासनिक मद से किया जाएगा। उक्त भुगतान संभाग के अंतर्गत किसी एक जिले से किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(ए.के. सिंह) 2.4.09

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र 2652/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 02/04/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त (समस्त) संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपायुक्त (विकास) समस्त संभागायुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त, (वित्त एवं लेखा) रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2.4.09

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय कलेक्टर, पन्ना
राहत
कलेक्टर

3992
11/6/08
NREGS

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय- वल्लभ भवन.

कमांक एफ 7–5/2007/सात/शा.3 — भोपाल, दिनाँक 25/04/2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मांग संख्या 58 के अंतर्गत चलाये जा रहे राहत कार्यों को रोजगार ग्यारण्टी योजना से पूरा कराया जाना।

प्रदेश के 39 जिलों में 165 तहसीलों तथा 1 ग्राम समूह को सूखा प्रभावित घोषित करते हुए राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए गये हैं, निर्देशों में यह कहा गया है कि यदि इन क्षेत्रों में रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं तो मांग संख्या 58 के अंतर्गत तभी कार्य प्रारम्भ [illegible] जबकि रोजगार ग्यारण्टी के अंतर्गत मजदूरों को काम उपलब्ध न कराया जा सके। अब चूंकि [illegible] प्रदेश में यह योजना प्रभावशील है अतः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि–

1. जिन क्षेत्रों में मांग संख्या 58 के अंतर्गत राहत कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं और ऐसे कार्य [illegible] प्रतिशत तक या अधिक पूरे हो चुके हैं उनमें शेष कार्य मांग संख्या 58 के अंतर्गत ही प्रचलित रखा जाय एवं पूर्ण कराया जायें।

2. जिन क्षेत्रों में मांग संख्या 58 के अंतर्गत राहत कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं और ऐसा कार्य [illegible] प्रतिशत से कम कार्य हुआ है, उनका मूल्यांकन करा लिया जाय और ऐसे अधूरे/शेष कार्य को रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत पूर्ण कराया जाय।

3. 01 अप्रैल, 2008 के पश्चात् सामान्यतः रोजगार मूलक कार्य मांग संख्या 58 से स्वीकृत [illegible] जायें बल्कि राहत कार्यों की जहां भी आवश्यकता अनुभव की जाती है, वहां रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराया जाय।

4. 01 अप्रैल, 2008 के पश्चात सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मांग संख्या 58 के अंतर्गत नये कार्य [illegible] उन्हीं परिस्थितियों में स्वीकृत किए जायें जहां रोजगार ग्यारण्टी योजना [illegible] जॉबकार्डधारियों को 100 दिन पूरे हो जाने के कारण रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं [illegible] गया है। नये कार्य प्रारम्भ करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि [illegible] जून, 2008 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

5. मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्रारम्भ किए गये राहत कार्य 15 जून, 2008 के पश्चात [illegible] जा सकते अतएव ऐसे अधूरे कार्य जो 15 जून, 2008 तक किन्ही कारणोंवश पूर्ण नहीं [illegible] 15 जून, 2008 की स्थिति में मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् शेष अधूरे कार्य को रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत पूरा कराया जाय और जहां रोजगार ग्यारण्टी योजना [illegible] सभी जॉबकार्डधारियों के 100 दिन पूरे हो गये हैं, वहां कार्य से संबंधित विभागीय [illegible] अधूरा कार्य पूरा कराया जाय।

Letter to collector

मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्रारम्भ किए गये केवल ऐसे कार्य जो राष्ट्रीय रोजगार [illegible] अधिनियम की अनुसूची 1 में वर्णित हैं, को ही ऊपर बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार [illegible] ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत पूर्ण कराया जायेगा, अन्य कार्य यथावत मांग संख्या 58 [illegible] ही चलते रहेंगे।

मांग संख्या 58 के अंतर्गत चल रहे कार्यों में सूखा संबंधी स्थायी निर्देशानुसार [illegible] सामग्री का अनुपात 75 : 25 तथा मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्रारम्भ किए गये ऐसे [illegible] बाद में रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है, [illegible] ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत लिये गये कार्य के अंश भाग में मजदूरी एवं सामग्री [illegible] उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार 60 : 40 का रखा जाय।

ऐसे कार्यों के संबंध में जिन्हें मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्रारम्भ किया [illegible] रोजगार ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है [illegible] ग्यारण्टी योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने के पूर्व कार्य का [illegible] की नवीन प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति (NREGS-MP [illegible] की जाये।

कार्यस्थल पर लगाए सूचना पटल में मांग संख्या 58 एवं रोजगार ग्यारण्टी [illegible] [illegible] स्पष्टरूप से अंकित करते हुए [illegible]

[illegible] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार [illegible]

राज्य शासन के विभिन्न निर्देशों (जैसे कार्यों का [illegible] ग्रामीण विकास विभाग के SOR का पालन इत्यादि) [illegible] अनिवार्य होगा, यदि किसी कार्य में यह परिलक्षित होता है [illegible] अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना संभव नहीं है [illegible] ग्यारण्टी योजना में स्वीकृत नहीं किया जावे।

[illegible] जाना सुनिश्चित करें।

[illegible]

[illegible] Collector

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3332 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 5/5/2009

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धार
मध्यप्रदेश

विषय: **NREGS-MP के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों का 1 प्रतिशत उपकर राशि प्राप्त करने बाबत्।**

संदर्भः **आपका पत्र क्रमांक 7441 दिनांक 7.2.09**

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत जिला स्तर, जनपद स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मकार की राशि के संबंध में स्पष्ट निर्देश न होने की वजह से अभी भी कर्मकार का प्रावधान प्राक्कलन में किया जा रहा है। इस संबंध में आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त संबंध में लेख है के NREGS-MP के अंतर्गत कार्यरत् श्रमिकों के [illegible] क्रियान्वित करने के संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन से विभागीय मत प्राप्त किया है। विधि विभाग के मतानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत् श्रमिकों के हितार्थ केन्द्रीय निधि से ही राज्य शासन द्वारा The Building and Other Constructions Workers Welfare Cess Act 1996 (28th of 1996) 19th August 1996 के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जाना है, तो इसके लिए NREGA की धारा 27 के अंतर्गत केन्द्र शासन से सहमति लेना आवश्यक होगा।

इस संबंध में भारत शासन को अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है, परन्तु प्रकरण विचाराधीन है। अतः आगामी व्यवस्था तक कर्मकार मंडल को 1 प्रतिशत राशि जमा नहीं की जा सकती है।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 3333 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 5/5/2009

प्रतिलिपि–

1. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर जिला की ओर सूचनार्थ।
2. **समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–[illegible]
मुख्यालय, भोपाल

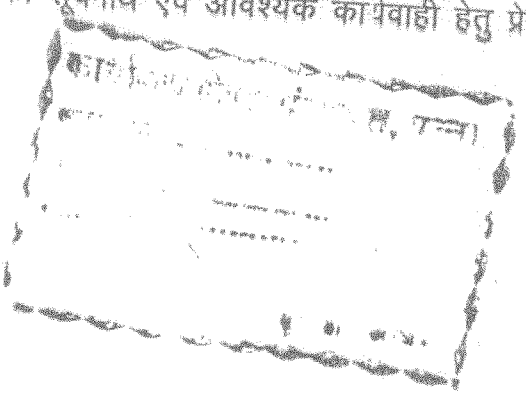

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 8035 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009

भोपाल, दिनांक 25/6/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ....
   मध्यप्रदेश .... (समस्त 50 जिले)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत विधवा/एकल महिलाओं को स्वतंत्र परिवार का दर्जा दिए जाने बाबत्।

संदर्भः भारत शासन का पत्र कमांक एम–13015/1/2009–एनआरईजीएस दिनांक 20.2.09

भारत शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विधवा/एकल महिलाओं को भी स्वतंत्र परिवार का दर्जा दिया जा सकता है। वे भी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार हेतु पात्रता रखेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 8036 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009

भोपाल, दिनांक 25/6/2009

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

Letter CEO-II-2009

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 9452 /NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक 23/ 7 /2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत, जिला ..... (समस्त 48 जिले)
   मध्यप्रदेश।

विषयः NREGS-MP कि अंतर्गत श्रमिकों को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के बिन्दु क्र. 3.6.3 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किए जाने का प्रावधान है।

परिषद मुख्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार जिलों में मजदूरी भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है। यह कृत्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मंशा के अनुरूप नहीं है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन है।

आपको यह अवगत कराया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 30 में प्रावधानित किया गया है कि यदि मजदूरी का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि को पाने का हकदार होगा।

अतः यदि किसी जिले में इस प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ. क्र./9453/NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक 23/ 7 /2009

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर, संभाग ..... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

LETTER II - CEO

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1191० /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 01/09/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत निःशक्तजनों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत्।

आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मध्यप्रदेश, दृष्टिहीन कल्याण संघ से प्राप्त पत्र में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत निःशक्तजनों को योजना का पर्याप्त लाभ नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि एनआरईजीएस–एमपी के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के प्रावधान अंतर्गत निःशक्तजनों को उनकी पात्रता अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के जिन स्थानों पर योजना के कार्य प्रचलित हो उनमें कार्य दिए जाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें, ताकि निःशक्तजनों का समग्र कल्याण एवं पुनर्वास संभव हो सके तथा निःशक्त अधिनियम 1995 के प्रावधानों का पालन भी किया जा सके।

अतः सुनिश्चित किया जावें कि निःशक्तजनों को पात्रता अनुसार एनआरईजीएस–एमपी के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध हो।

1/9/09
(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 1191 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 01/09/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

1/9/09
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 4494/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक / /2009

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला.................... ....(समस्त 50 जिले)
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त मध्यप्रदेश

विषय: NREGS-MP के अंतर्गत जनपद स्तर पर पदस्थ अमले हेतु किराए पर भवन लेने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि NREGS-MP के अंतर्गत जनपद स्तर पर पदस्थ अमले की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अवगत कराया जा रहा है।

अतः निर्णय लिया गया है कि NREGS-MP के अमले के लिए पृथक ... हेतु जनपद मुख्यालय में रिक्त अन्य शासकीय भवन का उपयोग किया जाए। इस ... के भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे अर्द्धशासकीय संस्था के भवन जो कम ... पर उपलब्ध हो सकते हो, उसका विकल्प देखा जावें। सबसे अंत में, निजी भवन को कलेक्टर द्वारा अनुमोदित दरों/किराए पर भवन लेने की अनुमति दी जावें।

उपरोक्त भवन किराए पर होने वाला व्यय 4 प्रतिशत प्रशासकीय मद से किया जावेगा।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 4495/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक / /2009

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

CEO Letter II 2009

139

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3840 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 12/05/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त 48 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः सूखा प्रभावित तहसीलों में NREGS-MP के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन।
संदर्भः राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–7–4/सात/शा–3/09 दि. 1 मई, 09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार राजस्व विभाग में प्रदेश के 37 जिलों की 139 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में समस्त जिलों में प्रारंभिक शेष के अतिरिक्त रोजगार मूलक कार्यों के लिए भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किश्त रूपए 795.66 करोड का वितरण भी जिलों को किया गया है। केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष राज्यांश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रकार सभी जिलों में राज्य शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिले में उपलब्ध राशि का वितरण ग्राम पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसियों को किया जावें, ताकि रोजगार की मांग होने पर पर्याप्त संख्या में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ कराए जा सकें। राशि की कमी के कारण कार्यों को प्रारंभ न करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि जिले में रोजगार की मांग के सापेक्ष उपलब्ध राशि कम हो, तो तत्काल द्वितीय किश्त का प्रस्ताव परिषद् मुख्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि तद्नुसार राशि जारी की जा सकें।

माह अप्रैल–जून, 2009 में 100 दिवस की कार्ययोजना के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजी जावें;

यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विकासखंड में प्रगतिरत् कार्यों, कार्यरत् श्रमिकों की संख्या, सृजित मानव दिवस, प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण प्रत्येक मंगलवार को परिषद् मुख्यालय (फैक्स 0755–2550094 एवं ई–मेल rddmp_monit@yahoo.co.in व rddmp_mis@yahoo.com) को उपलब्ध करावें।

संलग्न : जिलवार आवंटित राशि का विवरण।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

Letter CEO II-2009.doc

पृ. क्र. 3841 /योज.ग./एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 12/5/2009

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59 नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

केन्द्रांश की राशि वित्तीय वर्ष 2009–10 की प्रथम किश्त का जिलेवार विवरण

क्र.	जिले का नाम	जारी की जाने वाली राशि (रू. लाख में)	खाता क्र.
1	BALAGHAT	4346.99	63002575139
2	BARWANI	4769.96	63002761261
3	BETUL	1000.00	63002519811
4	CHHATARPUR	1000.00	63002765710
5	DHAR	1200.00	63002674764
6	DINDORI	1707.37	63002502818
7	EAST NIMAR	2500.00	63002790338
8	JHABUA	3278.92	63002838180
9	KHARGONE	1052.50	63002565664
10	MANDLA	3931.85	63002453440
11	SATNA	3338.47	63003655435
12	SEONI	1000.00	63002622681
13	SHAHDOL	0.00	63002897011
14	SHEOPUR	1000.00	63002750248
15	SHIVPURI	2345.44	63002590464
16	SIDHI	11189.45	63002761975
17	TIKAMGARH	5121.72	63002859687
18	UMARIA	3347.93	63002748365
19	ANUPPUR	3666.61	63011739531
20	ASHOK NAGAR	942.67	63011233446
21	BURHANPUR	1000.00	63011159222
22	CHHINDWARA	1000.00	63011411137
23	DAMOH	1000.00	63010078965
24	DATIA	0.00	63011124539
25	DEWAS	1000.00	63011090868
26	GUNA	1000.00	63011233399
27	HARDA	1000.00	63011665342
28	KATNI	0.00	63011742534
29	PANNA	1496.48	63010369750
30	RAJGARH	5532.03	63009628041
31	REWA	1000.00	63009961047
32	BHIND	100.00	63016499173
33	BHOPAL	500.00	63016548441
34	GWALIOR	500.00	63016493353
35	HOSHANGABAD	500.00	63016497664
36	INDORE	578.54	63027549178
37	JABALPUR	500.00	63016492917
38	MANDSAUR	492.55	63016500054
39	MORENA	527.68	63016493455
40	NARSINGHPUR	507.40	63016541116
41	NEEMUCH	500.00	63037218054
42	RAISEN	500.00	63016525445
43	RATLAM	1091.52	63016528195
44	SAGAR	500.00	63016462788
45	SEHORE	500.00	63016535395
46	SHAJAPUR	500.00	63016496693
47	UJJAIN	500.00	63016500225
48	VIDISHA	500.00	63016582969
	Total	79566.46	

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 11816 / योजना / एनआर–1 / NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 21 / 08 / 2009

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत समस्त
   मध्यप्रदेश

विषय: सूखा प्रभावित जिलों में NREGS-MP के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 37 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोगार गारंटी स्कीम- मध्यप्रदेश के अंतर्गत आपके जिले में केन्द्रांश एवं राज्यांश की पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। चूंकि उक्त योजना में रोजगारमूलक कार्यों को ही क्रियान्वित किया जाना है। अतः यह सुनिश्चित करें कि एनआरईजीए के प्रावधानों का पालन करते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ किए जावें।

यदि जिले में उपलब्ध आवंटन का 60 प्रतिशत व्यय हो चुका हो, तो निर्धारित प्रारूप में राशि की मांग परिषद को तत्काल भेजी जावे, ताकि तद्नुसार राशि उपलब्ध कराई जाने की कार्यवाही की जा सके।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 11817 / [illegible] / NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 21 / 08 / 2009

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

Letter LKG II 2009

AMITA SHARMA,
Joint Secretary (NREGA)
Phone : 011-2338 5027

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110 001

D.O. No.: J-12024/1/2009-NREGA

1st October, 2009

Dear Shri Parsuram,

Please refer to your D.O. letter No.12399/Yojana/NR-1/NREGS-MP/2009 dated 17.9.2009 for release of second tranche of Central funds to State Employment Guarantee Fund account. The matter has already been discussed with the Joint Director (Finance) of your State on 18.9.2009. However, State Government's response is awaited.

It is requested that the following documents may please be expedited to facilitate this Ministry to consider release of second tranche of Central funds to the State Fund account :-

(i) A certificate to the effect that Utilisation Certificate and the Audit Report pertaining to 2008-09 has been received from all the districts to the satisfaction of the State Government;
(ii) A copy of Utilisation Certificate for 2008-09 in respect of each district of your State, duly signed by the competent officers of the district, may be endorsed to this Ministry;
(iii) Reported Opening Balance as on 1.4.2009 is based on the figures mentioned in Utilisation Certificate and Audit Report for 2008-09 has been taken into account for arriving at total availability of funds. The Opening Balance must be equal to Closing Balance as on 31.3.2009;
(iv) A certified statement detailing district-wise opening balance (1.4.2009), funds released last year but received during the current year, funds released (Central funds and State share separately) in 2009-10, miscellaneous receipt, total funds available and actual utilisation by the respective districts during the year.

With regards,

Yours sincerely,

(Amita Sharma)

Shri R. Parsuram,
Principal Secretary,
Rural Development Department,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal-462004.

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./13345/NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक 24/10/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत, जिला ..... (समस्त 48 जिले)
   मध्यप्रदेश।

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत रोजगार मूलक कार्यो हेतु अतिरिक्त किश्त के प्रस्ताव विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत "राज्य रोजगार गारंटी निधि" के द्वारा राशि जारी की जा रही है।

समस्त जिलों को निर्देशित किया गया था कि माह 30 सितम्बर 2009 तक योजना का ऑडिट कार्य पूर्ण कर लिया जावे।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के अध्याय के बिन्दु क्र. 8.4.4 में द्वितीय किश्त जारी करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों का उल्लेख किया है। अतः 01.10.09 के उपरांत अतिरिक्त किश्त के प्रस्तावों के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1. निर्धारित प्रारूप में राशि की मांग।
2. जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/लाईन डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2008–2009)
3. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (वर्ष 08–09 एवं वर्ष 09–10) की अद्यतन स्थिति।
4. केन्द्रांश के विरूद्ध राज्यांश प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र। राज्यांश स्वीकृति के आदेश की प्रति तथा राज्यांश राशि के आहरण पर संबंधित बैंक के मैनेजर या लेखाधिकारी (NREGA) का प्रमाण–पत्र ।
5. 60% राशि के व्यय का प्रमाण–पत्र।
6. मजदूरी एवं सामग्री 60:40 के अनुपात संधारण का प्रमाण–पत्र।
7. मजदूरी भुगतान बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से किया जाने का प्रमाण–पत्र।

8. अद्यतन MIS रिपोर्ट ।

9. लेबर बजट की प्रति।

10. अद्यतन मासिक प्रगति पत्रक।

11. 10% एवं 100% कार्यो का भौतिक एवं मस्टर रोल के सत्यापन का प्रमाण पत्र।

12. Non-diversion and non-embezzlement certificate.

13. कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण की अघतन स्थिति।

14. शिकायतों के निराकरण की वस्तुस्थिति तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अघतन स्थिति।

15. योजना के संचालन के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियुक्त अमले की जानकारी। (स्थपना प्रपत्र 1 एवं 2)

उपरोक्त दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेज के संलग्न न होने पर प्रस्ताव संबंधित जिले को मूलतः वापिस कर दिया जावेगा।

समस्त प्रमाण–पत्रों तथा समस्त पृष्ठों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी (NREGA) के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।

23.10.09

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र./13346 /NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक24/10/2009

प्रतिलिपि,

समस्त संभाग आयुक्त, की ओर सादर सूचनार्थ।

23.10.09

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल दिनांक 4/11/09

// आदेश //

क्रमांक 13687 /NR-1/NREGS-MP/2009 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के पर्यवेक्षण/निरीक्षण आदि में संभागायुक्त कार्यालय में योजनांतर्गत होने वाले प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय का समायोजन संभाग के किसी भी एक जिले से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त व्यय 4 प्रतिशत की प्रशासनिक मद से किया जाएगा। उक्त भुगतान संभाग के अंतर्गत किसी एक जिले से किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

31.10.09.

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

13688
पृ.क्र /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 4/11/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त (समस्त) संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपायुक्त (विकास) समस्त संभागायुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त, (वित्त एवं लेखा) रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल की ओर सूचनार्थ।

31.10.09.

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 13932 / योजना / एनआर–1 / NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 9 / 11 / 2009

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत .... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत वितरित जॉबकार्ड विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त ग्रामीण परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए है।

उक्त जॉबकार्ड के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें :–

1. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त ग्रामीण परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए है और जिन परिवारों का जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे का न होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे है, के नाम सूची से हटाए जाने है। इस संबंध में पृथक प्रक्रिया से अवगत कराया जावेगा।

   प्रथम चरण में सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों के नाम एवं उनके परिवार के सदस्यों के नामों को सूची से हटाकर जॉबकार्ड निरस्त किए जाए।

2. प्रत्येक जिले के ऐसे सभी गणमान्य व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की सूची बनाई जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, और जिन्हें जॉबकार्ड जारी किए गए है, परन्तु कार्य करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, उनके जॉबकार्ड भी निरस्त किए जावें। इस हेतु तैयार की गई सूची पर कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 13933 / योजना / एनआर–1 / NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 9 / 11 / 2009

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./15303/NR-/09 भोपाल, दिनांक 18/12/2009

प्रति,

1. कमिश्नर, ...(समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जिले
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिले
   मध्यप्रदेश
4. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर मे संशोधन विषयक।

संदर्भः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. Z-11011/1/09 दिनांक 03.12.09

---

1. वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर रूपये 91/– निर्धारित है। यह मजदूरी दर दिनांक 01.01.09 से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार स्वीकृत है।
2. संदर्भित पत्र एवं भारत शासन की अधिसूचना दिनांक 15.12.09 के अनुसार भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर **राशि रू. 100/ प्रतिदिवस स्वीकृत की है। यह मजदूरी दर 01.10.09 से प्रभावशील होगी। अतः तदनुसार मजदूरी राशि के भुगतान करें।**

यह भी अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्धारण अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देय होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

18/12/09

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

LETTER H - CEO

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/9

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2009/अग्रहायण 24, 1931

No. 2121] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2009/AGRAHAYANA 24, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3208(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (2 दिसम्बर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (21 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "80.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 जून, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) क्रम संख्यांक 8 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (10 अगस्त, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(viii) क्रम संख्यांक 14 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (24 अगस्त, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ix) क्रम संख्यांक 18 (क) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(x) क्रम संख्यांक 18 (ख) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xi) क्रम संख्यांक 18 (ग) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xii) क्रम संख्यांक 21 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiii) क्रम संख्यांक 22 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiv) क्रम संख्यांक 24 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "87.50 रु. (2 दिसम्बर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xv) क्रम संख्यांक 25 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "83.73 रु. (1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम संख्यांक 26 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "99.00 रु. (2 जून, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

[फा. सं. जे.-11013/2/2008-एनआरइजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 1 जनवरी, 2009 में संख्यांक का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2876(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2009 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2009

S.O. 3208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1(E),dated the 1st January, 2009, namely :—

In the said notification, in the Schedule,—

(i) against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 2nd December, 2009)" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 21st May, 2009)" shall be substituted;

(iii) against Sl. No. 3, for the entry in column (3), the entry "Rs. 80.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;

(iv) against Sl. No. 4, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st June, 2009)" shall be substituted;

(v) against Sl. No. 8, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 10th August, 2009)" shall be substituted;

(vi) against Sl. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;

(vii) against Sl. No. 11, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;

(viii) against Sl. No. 14, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 24th August, 2009)" shall be substituted;

(ix) against Sl. No. 18 (a), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;

(x) against Sl. No. 18 (b), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;

(xi) against Sl. No. 18 (c), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;

(xii) against Sl. No. 21, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;

(xiii) against Sl. No. 22, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;

(xiv) against Sl. No. 24, for the entry in column (3), the entry "Rs. 87.50 (with effect from 2nd December, 2009)" shall be substituted;

(xv) against Sl. No. 25, for the entry in column (3), the entry "Rs. 83.73 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;

(xvi) against Sl. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Rs. 99.00 (with effect from 2nd June, 2009)" shall be substituted.

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st January, 2009 *vide* No. S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009 and last amended *vide* notification number, S.O. 2876 (E) dated the 11th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

No. J-11011/1/2009-NREGA
Government of India
Ministry of Rural Development
(NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 3rd December, 2009.

To

The Principal Secretary/Secretary
Department of Rural Development
All States/UTs

Subject: Wage Rate Revision under section 6(1) of NREGA

Sir/Madam,

1. Your attention is drawn to Section 6(1) of NREGA:

"Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government may, by notification, specify the wage rate for the purposes of this Act:

Provided that different rates of wages may be specified for different areas:

Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day."

2. The Central Government in exercise of power vested in it under Section 6(1) has decided upon the following policy for wage rate revision for the purposes of NREGA.

i) Proposals received from State Government for wage revision under Section 6 (1) of NREGA may be considered and acceded to by the Central Government and notified subject to the ceiling of Rs.100/- per day. Anything higher than this would be paid by the State Governments from their own budgets.

ii) States with Wage Rates above Rs.100/- per day, as notified by the Central Government on 1st January, 2009, will be retained at that level.

iii) The new wage rates will be effective from 1st April, 2009 or from the date of actual disbursement whichever is later.

Contd..p/2..

iv) States are advised that in future the new wage rates will be made effective only from the date of notification by the Government of India and not from retrospective date.

v) In future, should a State Government seek to revise wage rates under NREGA the proposal for such a revision will have to be first submitted to Government of India and the revised wage rate as approved by Government of India will applicable from the date indicated in the Government of India notification. State Governments will be liable for any difference in payment of wage rates caused by any deviation from this policy.

Yours sincerely,

(AMITA SHARMA)
Joint Secretary (NREGA)

S.Nc.	Name of State	Wage Rate in Rs. Per day	With Effect From
1	2	3	4
1.	Assam	Rs. 100/-	2nd December, 2009
2.	Andhra Pradesh	Rs. 100/-	21st May, 2009
3.	Arunachal Pradesh	Rs. 80/-	1st April, 2009
4.	Bihar	Rs. 100/-	1st June, 2009
8.	Jammu & Kashmir	Rs. 100/-	10th August, 2009
9.	Karnataka	Rs. 100/-	1st April, 2009
11.	Madhya Pradesh	Rs. 100/-	1st October, 2009
14.	Meghalaya	Rs. 100/-	24th August, 2009
18. (a)	Punjab- Hoshiarpur	Rs. 100/-	14th May, 2009
(b)	Jalandhar	Rs. 100/-	14th May, 2009
(c)	Nawanshar	Rs. 100/-	14th May, 2009
21.	Tamil Nadu	Rs. 100/-	1st October, 2009
22.	Tripura	Rs. 100/-	1st April, 2009
24.	West Bengal	Rs. 87.50	2nd December, 2009
25.	Chattisgarh	Rs. 83.73	1st October, 2009
26.	Jharkhand	Rs. 99/-	2nd June, 2009

154